बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

संख्या पी0–5/16–01–11–2023/369 पटना, दिनांक– 14/12/23

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत, बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 के अन्तर्गत, बिहार पुलिस आशु संवर्ग के निम्नांकित आशु अवर निरीक्षकों को **आशु निरीक्षक** में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर–07) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है:–

क्र0सं0	आशु अवर निरीक्षक का नाम/जन्म तिथि	पुलिस मुख्यालय के पत्रांक–347/पी0–05, दिनांक–17.11.2023 द्वारा प्रकाशित मूल कोटि आशु स0अ0नि0 में नियुक्ति के आधार पर वरीयता क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	श्री अशोक कुमार सिंह जन्म तिथि–04.06.1966	07	किशनगंज
2	श्री परवेजुल बारी जन्म तिथि–20.09.1965	08	पुलिस महानिरीक्षक कार्या0, दरभंगा
3	श्री शशिभूषण सिंह जन्म तिथि–06.09.1965	10	बाँका
4	श्री अमरनाथ पासवान जन्म तिथि–04.05.1966	11	खगड़िया
5	सैयद मो0 इनायतुल्ला अहमद जन्म तिथि–15.10.1964	12	नालंदा
6	श्री अशोक कुमार प्रसाद जन्म तिथि–30.01.1966	14	अपराध अनुसंधान विभाग, पटना
7	श्री राजकुमार प्रसाद जन्म तिथि–17.01.1969	15	जहानाबाद
8	श्री रामसेवक ताँती जन्म तिथि–24.12.1965	16	वैशाली
9	श्री शत्रुघ्न पटेल जन्म तिथि–23.12.1969	18	बक्सर
10	श्री ग्यासुद्दीन अंसारी जन्म तिथि–13.11.1967	19	शिवहर
11	श्री सुनील कुमार जन्म तिथि–12.10.1964	20	शिवहर

2. यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300, दिनांक–13.10.2023 में निहित शर्तो के अध्यधीन है।

प्रभारी

14/12/23

उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक आशु निरीक्षक विहित वेतनमान (वेतन स्तर–7) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आशु निरीक्षक के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

5. संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) से आच्छादित उक्त सभी पदाधिकारियों से इस आशय का न्यायिक शपथ–पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार का विभागीय कार्यवाही संचालित/लंबित नहीं है एवं कोई दंडादेश प्रभावी नहीं है तथा उनके विरुद्ध निगरानी/आपराधिक/फौजदारी अथवा अन्य न्यायिक वाद भी लंबित नहीं है। इस शपथ–पत्र के उपरान्त ही संबंधित कार्यालय प्रधान कार्यकारी प्रभार संबंधी इस आदेश का क्रियान्वयन करेंगे।

6. कार्यकारी प्रभार से आच्छादित किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित हो, निलंबन हो अथवा सजा के प्रभाव में हो या उनके विरुद्ध निगरानी/फौजदारी/आपराधिक मामला विचाराधीन हो तो उस स्थिति में यह कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगी।

7. सरकारी सेवक को कार्यकारी प्रभार प्रदान करने के निमित्त आवश्यक अर्हता को प्रभावित करने संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि भविष्य में पाये जाने पर बिहार पुलिस मुख्यालय इस आदेश को यथा अवश्यकतानुसार संशोधित/रद्द करने हेतु स्वतंत्र होगा।

8. **इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

14/12/23

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना

ज्ञापांक–पी0–5/16–01–11–2023/ 369 **पटना, दिनांक–** 14/12/23

प्रतिलिपिः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अप0अनु0वि0, बिहार, पटना को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
2. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक (रेल/ईकाई सहित), बिहार को कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
3. वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/पुलिस अधीक्षक किशनगंज, बाँका, खगड़िया, नालंदा, वैशाली, बक्सर, जहानाबाद, शिवहर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित
4. पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई को यह आदेश बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/12/23

पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक),
बिहार, पटना